उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
बी–2 ब्लाक, भूतल, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ

संख्याः– 440 /रा0आ0प्र0प्रा0/ 2022–23 दिनांकः 17 अगस्त, 2022

प्रेषक,

ले0 जनरल रविन्द्र प्रताप साही, ए0वी0एस0एम0,
उपाध्यक्ष,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–वज्रपात से होने वाली जनहानि को न्यूनतम किये जाने हेतु कार्यावाही किये जाने विषयक।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश में अप्रैल, 2022 से तद्दिनांक तक वज्रपात के कारण कुल 183 जनहानि की घटनायें हो चुकी हैं। इस संदर्भ में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा एकाधिक बार गम्भीर चिंता व्यक्त की गयी है एवं निर्देशित किया गया है कि वज्रपात के कारण होने वाली जनहानि को न्यूनतम करने हेतु की जाने वाली कार्यवाहियों को प्रभावी रूप से लागू किया जाय तथा राज्य सरकार एवं उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देशों का और अधिक कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

इस संदर्भ में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.03.2021 को वज्रपात कार्ययोजना प्रेषित की गयी थी तत्पश्चात दिनांक 10 मई, 2022–23 को पत्र सं0–117/रा0आ0प्र0प्रा0/2022–23 के माध्यम से मौसम विभाग एवं दामिनी ऐप से प्राप्त पूर्व चेतावनी को जनमानस तक पहुंचाने एवं ऐप के सम्बन्ध में जनसामान्य को जागरूक किए जाने तथा सम्बन्धित अधिकारियों को प्रशिक्षित किए जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा **''वज्रपात पूर्व चेतावनी तंत्र : मानक संचालन प्रक्रिया''** प्रेषित की गयी है। उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्य स्तर तथा जनपद स्तर एवं ग्राम स्तर तक वज्रपात से सम्बन्धित पूर्व चेतावनी को जन मानस एवं सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पहुंचाने हेतु प्रत्येक स्तर पर कार्य एवं दायित्व निर्धारित किए गए हैं।

उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र सं0–334/रा0आ0प्र0प्रा0/2022–23 दिनांक 13 जुलाई, 2022 के माध्यम से जनपद स्तर पर किये जाने वाले कार्यो को किये जाने तथा **"वज्रपात पूर्व चेतावनी तंत्र : मानक संचालन प्रक्रिया"** का व्यापक अनुपालन एवं जनमानस में प्रचार–प्रसार संबंधी दिशा–निर्देश प्रदान किये गये थे।

वज्रपात से होने वाली जनहानि के संबंध में यह पाया गया है कि अधिकतम दुर्घटनायें निम्न तीन कारणों से घटित हो रही हैं :–

- वज्रपात की पूर्व चेतावनी का ग्राम स्तर तक जनमानस में समय से न पहुंच पाना अथवा जानकारी प्राप्त होने पर गंभीरता से न लिया जाना।
- बारिश के समय बचाव हेतु लोगों द्वारा पेड़ों के नीचे खड़े होना, जिसके कारण वज्रपात की चपेट में आ जाना।
- बारिश के समय खुले मैदान वाली जगह पर लोहे से बने छातों का उपयोग जो कि वज्रपात को आकर्षित करते हैं।

अतः जनहानि को न्यूनतम करने हेतु आवश्यक है कि पूर्व चेतावनी ग्राम स्तर तक समय से पहुंच सके। इस हेतु संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाने तथा दामिनी ऐप के प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायें।

ग्राम स्तर तक जनमानस में प्रचार–प्रसार तथा दामिनी ऐप के उपयोग के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु एवं पूर्व चेतावनी प्राप्त होने पर क्या करें, क्या न करें की जानकारी दिये जाने हेतु सभी जनपदों में अभियान चालये जाय। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय कि लोगों को पेड़ के नीचे न खड़े होने एवं खुले मैदान में धातु से बने छातों का उपयोग न करने की सलाह दी जाय। जल्द से जल्द पक्की छत के नीचे शरण लेने पर बल दिया जाय।

उक्त के अतिरिक्त मौसम विभाग के माध्यम से प्राप्त चेतावनी को ग्राम स्तर तक पहुंचाये जाने की प्रक्रिया एवं चेतावनी प्राप्त होने के पश्चात ग्राम स्तर पर की जाने वाली कार्यवाहियों की मॉकड्रिल/पूर्वाभ्यास सुनिश्चित किया जाय।

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
बी–2 ब्लाक, भूतल, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ

जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को वज्रपात से बचाव एवं दामिनी एप के संबंध में जानकारी प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

उल्लिखित कार्यों को प्राथमिकता पर किया जाय एवं इस हेतु धनराशि की आवश्यकता होने पर विस्तृत प्रस्ताव राहत आयुक्त कार्यालय को भेजा जा सकता है।

अतः प्राधिकरण द्वारा तद्दिनांक तक दिये गये दिशा–निर्देशों एवं गाइडलाइन्स के क्रम में की गयी कार्यवाहियों की सूक्ष्म रिपोर्ट 15 कार्य दिवसों में ई–मेल अथवा पत्राचार से अवगत कराने का कष्ट करें तथा साथ ही प्रेषित किये जा रहे पत्र की प्राप्ति 02 कार्य दिवसों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

रविन्द्र प्रताप साही

(ले0 जन0 रविन्द्र प्रताप साही)
उपाध्यक्ष,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

प्रतिलिपिः– सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ले0 जन0 रविन्द्र प्रताप साही)
उपाध्यक्ष,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

फोन न0: 0522–2306882 फैक्स न0: 2720285, email: upsdma@gmail.com

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
बी–2 ब्लाक, भूतल, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ

संख्याः– 450 /रा0आ0प्र0प्रा0/ 2022–23 दिनांकः 17 अगस्त, 2022

प्रेषक,

लेo जनरल रविन्द्र प्रताप साही, ए0वी0एस0एम0,
उपाध्यक्ष,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–वज्रपात से होने वाली जनहानि को न्यूनतम किये जाने हेतु कार्यावाही किये जाने विषयक।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश में अप्रैल, 2022 से तद्‌दिनांक तक वज्रपात के कारण कुल 183 जनहानि की घटनायें हो चुकी हैं। इस संदर्भ में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा एकाधिक बार गम्भीर चिंता व्यक्त की गयी है एवं निर्देशित किया गया है कि वज्रपात के कारण होने वाली जनहानि को न्यूनतम करने हेतु की जाने वाली कार्यवाहियों को प्रभावी रूप से लागू किया जाय तथा राज्य सरकार एवं उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देशों का और अधिक कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

इस संदर्भ में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.03.2021 को वज्रपात कार्ययोजना प्रेषित की गयी थी तत्पश्चात दिनांक 10 मई, 2022–23 को पत्र सं0–117/रा0आ0प्र0प्रा0/2022–23 के माध्यम से मौसम विभाग एवं दामिनी ऐप से प्राप्त पूर्व चेतावनी को जनमानस तक पहुंचाने एवं ऐप के सम्बन्ध में जनसामान्य को जागरूक किए जाने तथा सम्बन्धित अधिकारियों को प्रशिक्षित किए जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा **"वज्रपात पूर्व चेतावनी तंत्र : मानक संचालन प्रक्रिया"** प्रेषित की गयी है। उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्य स्तर तथा जनपद स्तर एवं ग्राम स्तर तक वज्रपात से सम्बन्धित पूर्व चेतावनी को जन मानस एवं सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पहुंचाने हेतु प्रत्येक स्तर पर कार्य एवं दायित्व निर्धारित किए गए हैं।

फोन न0: 0522–2306882 फैक्स न0: 2720285, email: upsdma@gmail.com

उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र सं0–334/रा0आ0प्र0प्रा0/2022–23 दिनांक 13 जुलाई, 2022 के माध्यम से जनपद स्तर पर किये जाने वाले कार्यो को किये जाने तथा **"वज्रपात पूर्व चेतावनी तंत्र : मानक संचालन प्रक्रिया"** का व्यापक अनुपालन एवं जनमानस में प्रचार–प्रसार संबंधी दिशा–निर्देश प्रदान किये गये थे।

वज्रपात से होने वाली जनहानि के संबंध में यह पाया गया है कि अधिकतम दुर्घटनायें निम्न तीन कारणों से घटित हो रही हैं :–

- वज्रपात की पूर्व चेतावनी का ग्राम स्तर तक जनमानस में समय से न पहुंच पाना अथवा जानकारी प्राप्त होने पर गंभीरता से न लिया जाना।
- बारिश के समय बचाव हेतु लोगों द्वारा पेड़ों के नीचे खड़े होना, जिसके कारण वज्रपात की चपेट में आ जाना।
- बारिश के समय खुले मैदान वाली जगह पर लोहे से बने छातों का उपयोग जो कि वज्रपात को आकर्षित करते हैं।

अतः जनहानि को न्यूनतम करने हेतु आवश्यक है कि पूर्व चेतावनी ग्राम स्तर तक समय से पहुंच सके। इस हेतु संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाने तथा दामिनी ऐप के प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायें।

ग्राम स्तर तक जनमानस में प्रचार–प्रसार तथा दामिनी ऐप के उपयोग के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु एवं पूर्व चेतावनी प्राप्त होने पर क्या करें, क्या न करें की जानकारी दिये जाने हेतु सभी जनपदों में अभियान चालये जाय। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय कि लोगों को पेड़ के नीचे न खड़े होने एवं खुले मैदान में धातु से बने छातों का उपयोग न करने की सलाह दी जाय। जल्द से जल्द पक्की छत के नीचे शरण लेने पर बल दिया जाय।

उक्त के अतिरिक्त मौसम विभाग के माध्यम से प्राप्त चेतावनी को ग्राम स्तर तक पहुंचाये जाने की प्रक्रिया एवं चेतावनी प्राप्त होने के पश्चात ग्राम स्तर पर की जाने वाली कार्यवाहियों की मॉकड्रिल/पूर्वाभ्यास सुनिश्चित किया जाय।

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
बी–2 ब्लाक, भूतल, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ

उत्तर प्रदेश

जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को वज्रपात से बचाव एवं दामिनी एप के संबंध में जानकारी प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

उल्लिखित कार्यों को प्राथमिकता पर किया जाय एवं इस हेतु धनराशि की आवश्यकता होने पर विस्तृत प्रस्ताव राहत आयुक्त कार्यालय को भेजा जा सकता है।

अतः प्राधिकरण द्वारा तद्‌दिनांक तक दिये गये दिशा–निर्देशों एवं गाइडलाइन्स के क्रम में की गयी कार्यवाहियों की सूक्ष्म रिपोर्ट 15 कार्य दिवसों में ई–मेल अथवा पत्राचार से अवगत कराने का कष्ट करें तथा साथ ही प्रेषित किये जा रहे पत्र की प्राप्ति 02 कार्य दिवसों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(ले0 जन0 रविन्द्र प्रताप साही)
उपाध्यक्ष,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

प्रतिलिपिः– सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

रविन्द्र प्रताप साही

(ले0 जन0 रविन्द्र प्रताप साही)
उपाध्यक्ष,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

फोन न0: 0522–2306882 फैक्स न0: 2720285, email: upsdma@gmail.com

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
बी–2 ब्लाक, भूतल, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ

संख्याः– 440 /रा0आ0प्र0प्रा0/ 2022–23 दिनांकः 17 अगस्त, 2022

प्रेषक,

ले0 जनरल रविन्द्र प्रताप साही, ए0वी0एस0एम0,
उपाध्यक्ष,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–वज्रपात से होने वाली जनहानि को न्यूनतम किये जाने हेतु कार्यावाही किये जाने विषयक।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश में अप्रैल, 2022 से तद्दिनांक तक वज्रपात के कारण कुल 183 जनहानि की घटनायें हो चुकी हैं। इस संदर्भ में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा एकाधिक बार गम्भीर चिंता व्यक्त की गयी है एवं निर्देशित किया गया है कि वज्रपात के कारण होने वाली जनहानि को न्यूनतम करने हेतु की जाने वाली कार्यवाहियों को प्रभावी रूप से लागू किया जाय तथा राज्य सरकार एवं उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देशों का और अधिक कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

इस संदर्भ में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.03.2021 को वज्रपात कार्ययोजना प्रेषित की गयी थी तत्पश्चात दिनांक 10 मई, 2022–23 को पत्र सं0–117/रा0आ0प्र0प्रा0/2022–23 के माध्यम से मौसम विभाग एवं दामिनी ऐप से प्राप्त पूर्व चेतावनी को जनमानस तक पहुंचाने एवं ऐप के सम्बन्ध में जनसामान्य को जागरूक किए जाने तथा सम्बन्धित अधिकारियों को प्रशिक्षित किए जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा **"वज्रपात पूर्व चेतावनी तंत्र : मानक संचालन प्रक्रिया"** प्रेषित की गयी है। उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्य स्तर तथा जनपद स्तर एवं ग्राम स्तर तक वज्रपात से सम्बन्धित पूर्व चेतावनी को जन मानस एवं सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पहुंचाने हेतु प्रत्येक स्तर पर कार्य एवं दायित्व निर्धारित किए गए हैं।

फोन न0: 0522–2306882 फैक्स न0: 2720285, email: upsdma@gmail.com

उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र सं0–334/रा0आ0प्र0प्रा0/2022–23 दिनांक 13 जुलाई, 2022 के माध्यम से जनपद स्तर पर किये जाने वाले कार्यो को किये जाने तथा "**वज्रपात पूर्व चेतावनी तंत्र : मानक संचालन प्रक्रिया**" का व्यापक अनुपालन एवं जनमानस में प्रचार–प्रसार संबंधी दिशा–निर्देश प्रदान किये गये थे।

वज्रपात से होने वाली जनहानि के संबंध में यह पाया गया है कि अधिकतम दुर्घटनायें निम्न तीन कारणों से घटित हो रही हैं :–

- वज्रपात की पूर्व चेतावनी का ग्राम स्तर तक जनमानस में समय से न पहुंच पाना अथवा जानकारी प्राप्त होने पर गंभीरता से न लिया जाना।
- बारिश के समय बचाव हेतु लोगों द्वारा पेड़ों के नीचे खड़े होना, जिसके कारण वज्रपात की चपेट में आ जाना।
- बारिश के समय खुले मैदान वाली जगह पर लोहे से बने छातों का उपयोग जो कि वज्रपात को आकर्षित करते हैं।

अतः जनहानि को न्यूनतम करने हेतु आवश्यक है कि पूर्व चेतावनी ग्राम स्तर तक समय से पहुंच सके। इस हेतु संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाने तथा दामिनी ऐप के प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायें।

ग्राम स्तर तक जनमानस में प्रचार–प्रसार तथा दामिनी ऐप के उपयोग के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु एवं पूर्व चेतावनी प्राप्त होने पर क्या करें, क्या न करें की जानकारी दिये जाने हेतु सभी जनपदों में अभियान चालये जाय। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय कि लोगों को पेड़ के नीचे न खड़े होने एवं खुले मैदान में धातु से बने छातों का उपयोग न करने की सलाह दी जाय। जल्द से जल्द पक्की छत के नीचे शरण लेने पर बल दिया जाय।

उक्त के अतिरिक्त मौसम विभाग के माध्यम से प्राप्त चेतावनी को ग्राम स्तर तक पहुंचाये जाने की प्रक्रिया एवं चेतावनी प्राप्त होने के पश्चात ग्राम स्तर पर की जाने वाली कार्यवाहियों की मॉकड्रिल/पूर्वाभ्यास सुनिश्चित किया जाय।

जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को वज्रपात से बचाव एवं दामिनी एप के संबंध में जानकारी प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

उल्लिखित कार्यों को प्राथमिकता पर किया जाय एवं इस हेतु धनराशि की आवश्यकता होने पर विस्तृत प्रस्ताव राहत आयुक्त कार्यालय को भेजा जा सकता है।

अतः प्राधिकरण द्वारा तद्‌दिनांक तक दिये गये दिशा–निर्देशों एवं गाइडलाइन्स के क्रम में की गयी कार्यवाहियों की सूक्ष्म रिपोर्ट 15 कार्य दिवसों में ई–मेल अथवा पत्राचार से अवगत कराने का कष्ट करें तथा साथ ही प्रेषित किये जा रहे पत्र की प्राप्ति 02 कार्य दिवसों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(ले0 जन0 रविन्द्र प्रताप साही)
उपाध्यक्ष,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. परियोजना निदेशक, इमर्जेन्सी आपरेशन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मौसम विभाग से प्राप्त पूर्व चेतावनी को मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार डी0डी0एम0ए0 के माध्यम से ग्राम स्तर तक पहुंचाने हेतु कार्यावाही सुनिश्चित करें।

2. प्रोजेक्ट एक्सपर्ट इंसीडेन्ट कमाण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला आपदा विशेषज्ञों से समन्वय स्थापित कर जनपद स्तर पर मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन की कार्यवाही की मानिटरिंग करना सुनिश्चित करें।

रविन्द्र प्रताप साही

(ले0 जन0 रविन्द्र प्रताप साही)
उपाध्यक्ष,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
बी–2 ब्लाक, भूतल, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ

संख्याः–334 /रा0आ0प्र0प्रा0/ 2022–23 दिनांकः 13 जुलाई, 2022

प्रेषक,

ले0 जनरल रविन्द्र प्रताप साही, ए0वी0एस0एम0,
उपाध्यक्ष,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–मौसम विभाग एवं दामिनी ऐप से प्राप्त पूर्व चेतावनी को जनमानस तक पहुंचाने हेतु वज्रपात पूर्व चेतावनी तंत्र विकसित किए जाने एवं कृत कार्यवाही की आख्या प्राधिकरण को उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

कृपया प्राधिकरण के पत्र सं0–117/रा0आ0प्र0प्रा0/2022–23 दिनांक 10 मई, 2022–23 का संदर्भ ग्रहण चाहें। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि मौसम विभाग एवं दामिनी ऐप से प्राप्त पूर्व चेतावनी को जनमानस तक पहुंचाने एवं ऐप के सम्बन्ध में जनसामान्य को जागरूक किए जाने तथा सम्बन्धित अधिकारियों को प्रशिक्षित किए जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा **"वज्रपात पूर्व चेतावनी तंत्र : मानक संचालन प्रक्रिया"** विकसित की गयी है। उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्य स्तर तथा जनपद स्तर एवं ग्राम स्तर तक वज्रपात से सम्बन्धित पूर्व चेतावनी को जन मानस एवं सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पहुंचाने हेतु प्रत्येक स्तर पर कार्य एवं दायित्व निर्धारित किए गए हैं।

मानक संचालन प्रक्रिया के अन्तर्गत उल्लिखित जनपद स्तर पर किये जाने वाले कार्यो के अतिरिक्त निम्नवत बिन्दुओं पर कार्यवाही संबंधित विभागों के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित करायें :–

1. वज्रपात की चेतावनी को ग्रामवासियों तथा खेतों में कार्य कर रहे किसानों तक पहुंचाने का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इस सम्बन्ध में ग्राम प्रधान, लेखपाल, पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्य कर्ताओं इत्यादि के माध्यम से ग्रामवासियों से सम्पर्क कर पूर्व चेतावनी को जनमानस में अधिक से अधिक प्रसारित किया जाय।

फोन न0: 0522–2306882 फैक्स न0: 2720285, email: upsdma@gmail.com

2. वज्रपात से प्रायः ग्राम स्तर पर अत्यधिक हानि होती है। अतः ग्राम स्तर पर अंतिम व्यक्ति तक वज्रपात से पूर्व तैयारी तथा वज्रपात से पूर्व चेतावनी की सूचना पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाय।
3. जिला आपदा पबंधन प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि सभी स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दामिनी ऐप की जानकारी प्राप्त है एवं उनके द्वारा ऐप को डाउनलोड़ कर लिया गया है तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि ऐप के इस्तेमाल में संबंधित समस्त अधिकारी दक्ष हों। यदि आवश्यक हो तो उससे सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाय।
4. तहसील दिवस एवं ऐसे अन्य आयोजनों के समय अधिकारियों द्वारा जन संवाद कर वज्रपात के प्रति जागरूक किया जाय एवं वज्रपात के समय क्या करें, क्या न करें की जानकारी प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
5. डी0आई0ओ0एस0 के माध्यम से जनपद के समस्त विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा छात्र–छात्रओं को वज्रपात के समय क्या करें, क्या न करें की जानकारी प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
6. वज्रपात की चेतावनी के समय राजकीय गौशालाओं में पशुओं को सुरक्षित रखे जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। ऐसे समय में पशुओं को जलाशयों से दूर रखा जाय एवं पेड़ के नीचे न बांधा जाय।
7. विभिन्न स्थानों पर बनने वाली राजकीय गौशालाओं में प्रायः छत टीनशेड की होती है, जो कि वज्रपात को आकर्षित करती है। अतः गौशालाओं के ऊपर भी लाइटनिंग अरेस्टर/कन्डक्टर लगाया जाना उचित होगा।
8. जनमानस में वज्रपात के संबंध में जागरूकता फैलाये जाने हेतु अभियान चलाया जाय तथा स्थानीय अखबारों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाय।
9. उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये वज्रपात पूर्व चेतावनी प्रसारण के सम्बन्ध में क्या करें, क्या न करें, का अनुपालन जनपद में सुनिश्चित किया जाय

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
बी–2 ब्लाक, भूतल, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ

उत्तर प्रदेश

जिसमें कि प्रमुखतः वजपात से बचाव हेतु पक्की कंकरीट छत के नीचे रहने की सलाह जन सामान्य को दी जाय एवं पशुओं को भी पक्की छतों के नीचे रखने हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया जाय क्योंकि वज्रपात की स्थिति में शतप्रतिशत कंकरीट की छत से ही बचाव किया जा सकता है। अतः इस बिन्दु को जन सामान्य की जागरूकता कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाना अति अनिवार्य है।

10. उक्त के साथ जनपद में तैनात मनोरंजन कर अधिकारी को निर्देशित कर जनपद में क्रियाशील समस्त सिनेमा हालों में उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अधिकारिक वेबसाइट upsdma.up.nic.in पर अपलोड वज्रपात से सम्बन्धित चलचित्र फिल्मों की शुरूआत अथवा अन्त में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अतः **"वज्रपात पूर्व चेतावनी तंत्र : मानक संचालन प्रक्रिया"** का व्यापक अनुपालन कराने एवं इसके अतिरिक्त उल्लिखित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही की सूक्ष्म रिपोर्ट उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

रवि 65

(ले0 जन0 रविन्द्र प्रताप साही)
उपाध्यक्ष,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

O/C

फोन न0: 0522–2306882 फैक्स न0: 2720285, email: upsdma@gmail.com

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

बी–2 ब्लाक, भूतल, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ

संख्याः– 117 /रा0आ0प्र0प्रा0/ 2022–23 दिनांकः 10 मई, 2022

प्रेषक,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री रामकेवल,
विशेष सचिव,
राजस्व अनुभाग–11,
उ0प्र0 शासन।

विषयः–मौसम विभाग एवं दामिनी ऐप से प्राप्त पूर्व चेतावनी को जनमानस तक पहुंचाने हेतु वज्रपात पूर्व चेतावनी तंत्र विकसित किए जाने विषयक।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या–220/1–11–2022 दिनांक 26 अप्रैल, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वज्रपात की पूर्व चेतावनी/अलर्ट हेतु विकसित दामिनी ऐप के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को प्रशिक्षित किए जाने तथा ऐप के सम्बन्ध में जनसामान्य को जागरूक किए जाने हेतु प्राधिकरण स्तर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि मौसम विभाग एवं दामिनी ऐप से प्राप्त पूर्व चेतावनी को जनमानस तक पहुंचाने एवं ऐप के सम्बन्ध में जनसामान्य को जागरूक किए जाने तथा सम्बन्धित अधिकारियों को प्रशिक्षित किए जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा **"वज्रपात पूर्व चेतावनी तंत्र : मानक संचालन प्रक्रिया"** विकसित की गयी है। उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्य स्तर तथा जनपद स्तर एवं ग्राम स्तर तक वज्रपात से सम्बन्धित पूर्व चेतावनी को जन मानस एवं सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पहुंचाने हेतु प्रत्येक स्तर पर कार्य एवं दायित्व निर्धारित किए गए हैं।

मानक संचालन प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रमुख रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही कराये जाने हेतु शासन स्तर पर विचार–विमर्श किया जाना अनुरोधित हैः–

1. वज्रपात की चेतावनी को ग्रामवासियों तथा खेतों में कार्य कर रहे किसानों तक पहुंचाने हेतु सायरन अत्यन्त प्रभावशाली प्रभावित होगा। अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी अथवा पंचायत सचिव को एक सायरन उपलब्ध कराये जाने से पूर्व चेतावनी का प्रसारण प्रभावशाली ढंग से किया जा सकेगा। सायरन मैनुअल अथवा इलेक्ट्रिक

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
बी–2 ब्लाक, भूतल, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, जिसकी रेंज 02 से 05 किलोमीटर तक होनी चाहिए। सायरन को सोलर के माध्यम से भी चलाये जाने का प्राविधान होना चाहिए।

2. लगभग प्रत्येक गांव में राज्य सरकार द्वारा पानी की टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। उचित होगा कि पानी की टंकी के ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर/कन्डक्टर लगाये जाने का प्राविधान कराया जाए। लाइटनिंग अरेस्टर/कन्डक्टर की रेंज लगभग 100 मीटर के दायरे में होती है। अतः पानी की टंकी के 100 मीटर के दायरे को वज्रपात सुरक्षित क्षेत्र बनाया जा सकता है। उक्त लाइटनिंग अरेस्टर/कन्डक्टर को सम्बन्धित विभाग के माध्यम से लगवाया जा सकता है।
3. विभिन्न स्थानों पर बनने वाली राजकीय गौशालाओं में प्रायः छत टीनशेड की होती है, जो कि वज्रपात को आकर्षित करती है। अतः गौशालाओं के ऊपर भी लाइटनिंग अरेस्टर/कन्डक्टर लगाया जाना उचित होगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त **"वज्रपात पूर्व चेतावनी तंत्र : मानक संचालन प्रक्रिया"** का अवलोकन करने एवं इस हेतु शासन स्तर से यथावश्यक दिशा–निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

10/5/22
(महेन्द्र सिंह)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।
1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0/अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को इस आशय से प्रेषित कि वज्रपात पूर्व चेतावनी तंत्र : मानक संचालन प्रक्रिया में उल्लिखित समस्त कार्य एवं दायित्वों का अनुपालन कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. समस्त आपदा विशेषज्ञों/आपदा सलाहकारों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वज्रपात पूर्व चेतावनी तंत्र : मानक संचालन प्रक्रिया में उल्लिखित कार्यों हेतु अपने जनपद में समन्वय स्थापित करने तथा इस सम्बन्ध में प्राधिकरण से प्राप्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(महेन्द्र सिंह)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

फोन न0: 0522–2306882 फैक्स न0: 2720285, email: upsdma@gmail.com

वज्रपात पूर्वचेतावनी प्रसारण

हेतु

मानक संचालन प्रकिया

उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

प्रस्तावना :—

उ0प्र0 प्रति वर्ष विभिन्न प्रकार की आपदाओं से प्रभावित होता है। भौगोलिक रूप से विविधता होने के कारण बाढ़, सूखा, भूकम्प, वज्रपात जैसी आपदाएं प्रदेश में व्यापक जनहानि का कारण बनती हैं। प्रदेश में विगत लगभग तीन वर्षो से वज्रपात की घटनाओं में व्यापक वृद्धि पायी गयी है। वज्रपात के कारण प्रति वर्ष लगभग 300—350 जनहानि औसत रूप से प्रदेश में दर्ज की गयी हैं जो कि चिंता का विषय है।

वज्रपात प्रमुख रूप से मौसम में होने वाले बदलाव के कारण होता है जिसकी पूर्व चेतावनी मौसम विभाग द्वारा तीन घंटे पूर्व nowcast के रूप में प्रसारित की जाती है। वज्रपात के कारण जनहानि को कम करने हेतु आवश्यकता है कि पूर्व चेतावनी को ग्राम स्तर तक जनमानस में यथासमय पहुंचाया जा सके तथा जनमानस को वज्रपात के समय क्या करें क्या न करें की जानकारी से अवगत कराया जाय।

उद्देश्यः—

पूर्व चेतावनी तंत्र विकसित कर मौसम विभाग के माध्यम से वज्रपात से सम्बन्धित प्राप्त पूर्व चेतावनी को ग्राम स्तर तक प्रसारित किया जाना एवं वज्रपात से होने वाली जनहानि को न्यूनतम करना।

भाग—1

पूर्व तैयारी :—

राज्य स्तर पर पूर्व तैयारी से सम्बन्धित कार्य	दायित्व
• राज्य स्तर पर इमर्जेन्सी आपरेशन सेंटर को वज्रपात की पूर्व चेतावनी प्रसारण हेतु क्रियाशील किया जाना। • इमर्जेन्सी आपरेशन सेंटर में कार्यरत कार्मिकों को पूर्व चेतावनी प्रसारण की ट्रेनिंग प्रदान किया जाना। • राज्य स्तर पर सभी अधिकारियों/कार्मिकों को दामिनी ऐप के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना तथा अनिवार्य रूप से दामिनी ऐप डाउनलोड करवाना। • सभी आपदा विशेषज्ञों से आनलाइन बैठक कर पूर्व चेतावनी प्रसारण तंत्र एवं दामिनी ऐप के प्रयोग किये जाने से सम्बन्धित आवश्यक ट्रेनिंग एवं दिशा निर्देश प्रदान किया जाना।	परियोजना निदेशक इमर्जेन्सी आपरेशन, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

जनपद स्तर पर पूर्व तैयारी से सम्बन्धित कार्य	दायित्व
• जनपद स्तर पर इमर्जेन्सी आपरेशन सेंटर को वज्रपात की पूर्व चेतावनी प्रसारण हेतु क्रियाशील किया जाना। • इमर्जेन्सी आपरेशन सेंटर में कार्यरत कार्मिकों को पूर्व चेतावनी प्रसारण की ट्रेनिंग प्रदान किया जाना। • जनपद, ब्लाक, तहसील तथा ग्राम स्तर तक सभी अधिकारियों/कार्मिकों को दामिनी ऐप के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना तथा अनिवार्य रूप से दामिनी ऐप डाउनलोड करवाना। • लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान के माध्यम से ग्रामवासियों को वज्रपात के समय क्या करें क्या न करें की जानकारी से अवगत कराना एवं व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जाना।	• आपदा विशेषज्ञ उक्त कार्यो को अपर जिलाधिकारी (वि/रा) के साथ समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित करेंगे।

भाग–2

मानक संचालन प्रक्रिया

- मौसम विभाग द्वारा nowcast के रूप में वज्रपात/थण्डर स्टार्म के संभावित क्षेत्रों की जनपदवार जानकारी राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम तथा संबंधित जिलाधिकारियों को ई–मेल तथा मोबाइल के माध्यम से प्रेषित की जाती है जिसके आधार पर पूर्व चेतावनी प्रसारण की प्रक्रिया निम्नवत की जायेगी।

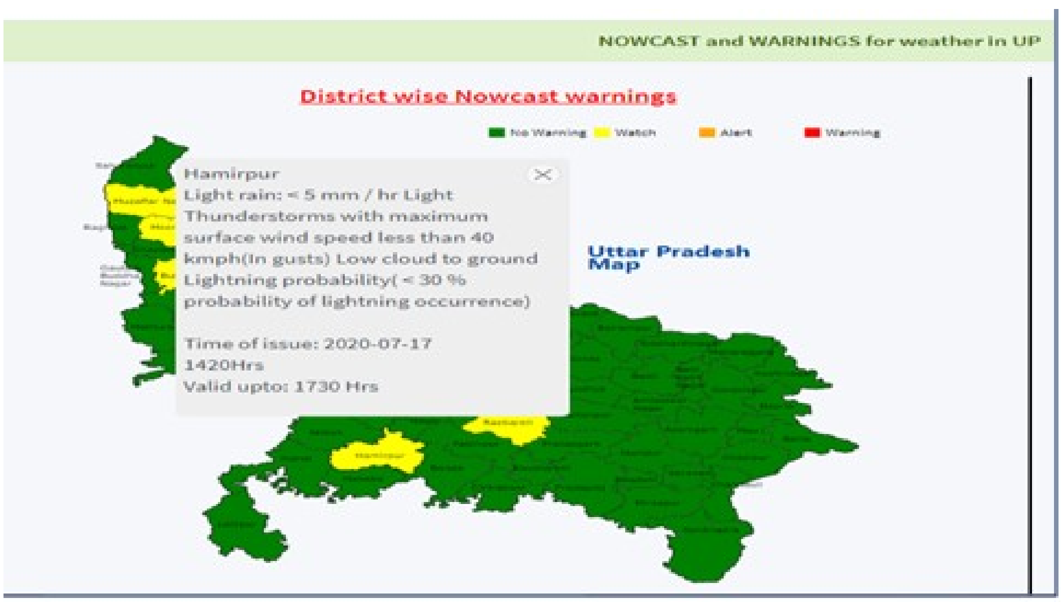

मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी का प्रारूप

चरण	प्रक्रिया	दायित्व	समय
प्रथम	• राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम से संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी, एस0पी0 / एस0एस0पी0, मुख्य विकास अधिकारी तथा आपदा विशेषज्ञ को रियल टाइम में एस0एम0एस0, फोन तथा ई–मेल के माध्यम से सचेत किया जायेगा।	• राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम प्रभारी अधिकारी एवं परियोजना निदेशक इमर्जेन्सी आपरेशन,	0–10 मिनट
द्वितीय	• जनपद के आपदा विशेषज्ञ द्वारा दामिनी एप को चेक किया जायेगा एवं ए0डी0एम0 (वि / रा) तथा सभी एस0डी0एम0 को सचेत किया जायेगा। • ए0डी0एम0 (वि / रा) तथा सभी एस0डी0एम0 द्वारा दामिनी एप को चेक किया जाता है तथा सभी तहसीलदारों को सचेत किया जायेगा। • सभी तहसीलदारों द्वारा दामिनी एप को चेक किया जाता है एवं संबंधित लेखपालों को सचेत किया जायेगा। • लेखपालों द्वारा दामिनी एप को चेक किया जायेगा एवं अपने क्षेत्र के 20 किमी0 में चेतावनी की स्थिति होने पर समस्त ग्राम प्रधानों तथा पंचायत सचिवों को सचेत किया जायेगा। • पंचायत सचिव / ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सायरन / लाउडस्पीकर / माइकिंग / मुनादी अथवा अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से ग्रामवासियों को सचेत किया जायेगा। • दामिनी ऐप के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में वज्रपात की पूर्व चेतावनी होने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उक्त जानकारी को जनपद स्तरीय कन्ट्रोल रूम में दर्ज कराया जायेगा। • जनपद स्तरीय कन्ट्रोल रूम द्वारा राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम में उक्त जानकारी को दर्ज कराया जायेग।	• DDMA तथा राजस्व विभाग। • जनपद स्तरयी कन्ट्रोल रूम में समस्त प्रक्रिया को दर्ज किया जायेगा। • आपदा विशेषज्ञ द्वारा उल्लिखित प्रक्रिया हेतु समन्वय स्थापित किया जायेगा। • ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत सचिव / ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से सायरन / लाउडस्पीकर / माइकिंग / मुनादी अथवा अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से ग्रामवासियों को सचेत किया जायेगा।	10–40 मिनट

चरण	प्रक्रिया	दायित्व	समय
तृतीय	• आपदा विशेषज्ञ द्वारा मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला विकास अधिकारी को सचेत किया जायेगा। • जिला विकास अधिकारी द्वारा सभी खण्ड विकास अधिकारियों को सचेत किया जायेगा। • खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दामिनी एप को चेक करने के उपरान्त 20 किमी0 में चेतावनी की स्थिति होने पर संबंधित ग्राम विकास अधिकारियों को सचेत किया जायेगा। • ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान के समन्वय से सायरन/लाउडस्पीकर/माइकिंग /मुनादी अथवा अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से ग्रामवासियों को सचेत किया जायेगा। • दामिनी ऐप के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में वज्रपात की पूर्व चेतावनी होने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उक्त जानकारी को जनपद स्तरीय कन्ट्रोल रूम में दर्ज कराया जायेगा। • जनपद स्तरीय कन्ट्रोल रूम द्वारा राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम में उक्त जानकारी को दर्ज कराया जायेग।	• ग्राम विकास विभाग। • आपदा विशेषज्ञ द्वारा उल्लिखित प्रक्रिया हेतु समन्वय स्थापित किया जायेगा।	10—40 मिनट
चतुर्थ	• आपदा विशेषज्ञ द्वारा एस0पी0/एस0एस0पी0 तथा सभी डी0एस0पी0 को सचेत किया जायेगा। • डी0एस0पी0 द्वारा सभी एस0एच0ओ0 को सचेत किया जायेगा। • एस0एच0ओ0 द्वारा दामिनी एप को चेक करने के उपरान्त संबंधित क्षेत्र की चौकियों तथा गांव में उपलब्ध पुलिस कर्मी के माध्यम से गांव वासियों को सेचत किया जायेगा।	• पुलिस विभाग की कार्यवाही	10—40 मिनट

अर्ली वार्निंग प्रसारण तंत्र– फ्लोचार्ट

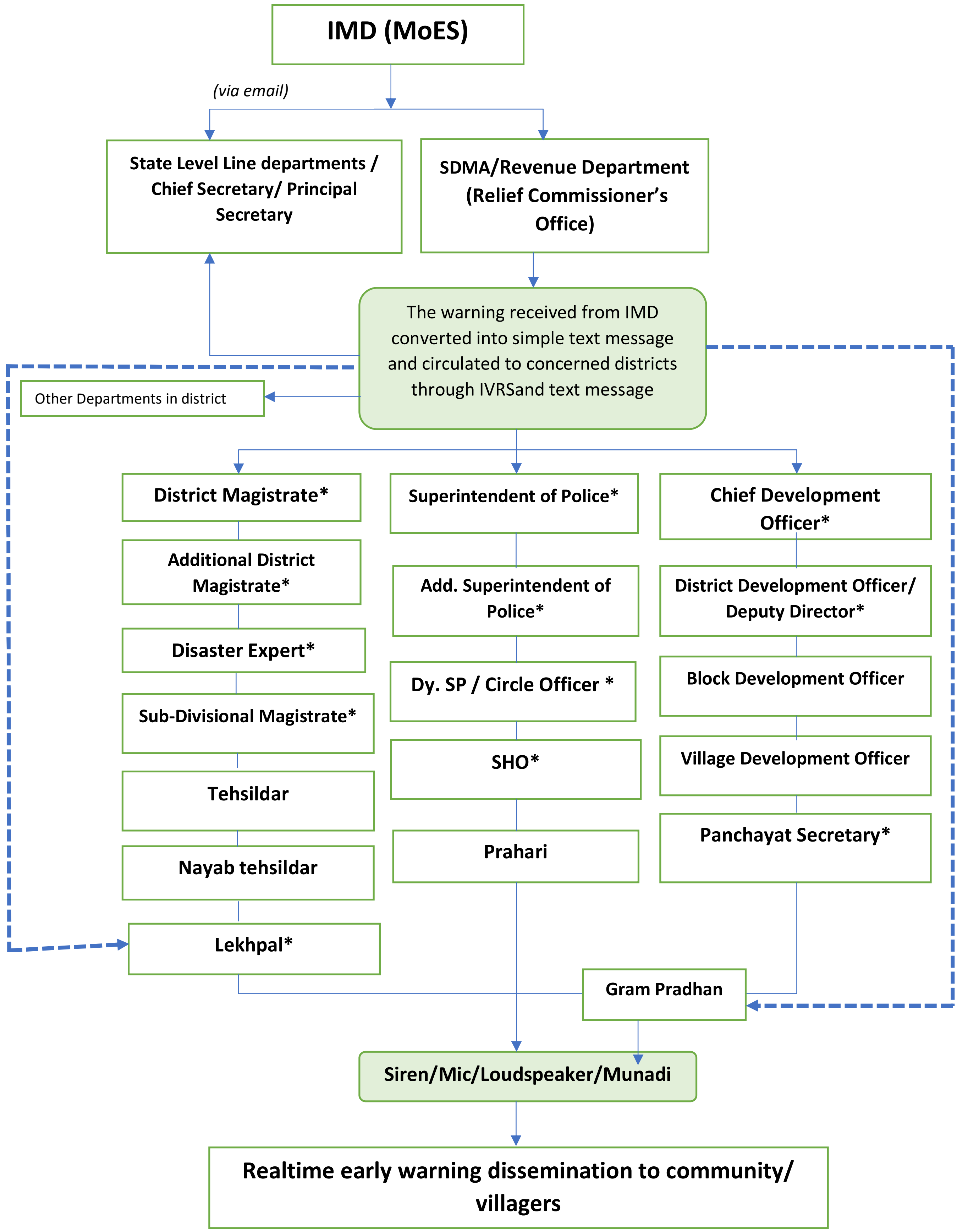

<u>क्या करें क्या न करें</u>

उत्तर प्रदेश राज्य में आंधी-पानी के साथ वज़्रपात गिरने की काफी घटनाएं हो रही हैं। आकाशीय विद्युत से कई लोगों के मरने एवं घायल होने की भी सूचना है। सामान्यतया मानसून पूर्व एवं मानसून की बारिश के समय वज़्रपात गिरने की घटनाएं होती हैं। अतएव यह आवश्यक है कि हम वज़्रपात से बचाव के लिए थोड़ी सावधानी बरतें। वज़्रपात गिरने के समय आम जन को सलाह :-

आसमान में बिजली के चमकने/गरजने/कड़कने के समय

- ✓ यदि आप खुले में हों तो शीघ्रातिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें।
- ✓ सफर के दौरान अपने वाहन में ही बने रहें।
- ✓ खिड़कियाँ, दरवाजे, बरामदे एवं छत से दूर रहें।
- ✓ ऐसी वस्तुएं, जो बिजली की सुचालक हैं, उनसे दूर रहें।
- ✓ बिजली के उपकरणों या तार के साथ संपर्क से बचे व बिजली के उपकरणों को बिजली के संपर्क से हटा दें।
- ✓ तालाब और जलाशयों से भी दूरी बनाये रखें।
- ✓ समूह में न खड़े हों, बल्कि अलग-अलग खड़े रहें।
- ✓ यदि आप जंगल में हों तो बौने एवं घने पेड़ों के शरण में चले जायें।
- ✓ बाहर रहने पर धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें। बाइक, बिजली या टेलीफोन का खंभा, तार की बाड़, मशीन आदि से दूर रहें।
- ✓ धातु से बने कृषि यंत्र-डंडा आदि से अपने को दूर कर दें।
- ✓ आसमानी बिजली के झटके से घायल होने पर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- ✓ स्थानीय रेडियों अन्य संचार साधनों से मौसम की जानकारी प्राप्त करते रहें।
- ✓ यदि आप खेत खलिहान में काम कर रहे हों और किसी सुरक्षित स्थान की शरण न ले पायें हो तो :-

(क) जहां हैं वहीं रहें, हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे-लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें।

(ख) दोनों पैरों को आपस में सटा लें एवं दोनों हाथों से कानों को बंद कर अपने सिर को जमीन की तरफ यथा संभव झुका लें तथा सिर को जमीन से न सटाएं।

(ग) जमीन पर कदापि न लेटें।

- ❖ ऊंचे इमारत वाले क्षेत्रों में शरण नहीं लें।
- ❖ साथ ही बिजली एवं टेलीफोन के खंभों के नीचे कदापि शरण नहीं लें, क्योंकि ऊंचे वृक्ष, ऊंची इमारतें एवं टेलीफोन/बिजली के खंभे आसमानी बिजली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
- ❖ पैदल जा रहे हों तो धातु की डंडी वाले छातों का उपयोग न करें।
- ❖ यदि घर में हों तो पानी का नल, फ्रिज, टेलीफोन आदि को न छुएं।

- ✓ वज्रपात के मामले में मृत्यु का तात्कालिक कारण हृदयाघात है। अगर जरूरी हो तो ''संजीवन क्रिया, प्राथमिक चिकित्सा'' (Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)) प्रारम्भ कर दें।
- ✓ ''संजीवन क्रिया, प्राथमिक चिकित्सा'' (Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)) देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रभावित व्यक्ति के शरीर से विद्युत का प्रभाव न हो रहा हो।
- ✓ यह सुनिश्चित कर लें कि पीड़ित की नाड़ी एवं श्वास चल रही हो।

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी Email:- upsdma@gmail.com

बज्रपात
आकाशीय बिजली के बारे में जानिए
उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश
जब आप घर में हों तो इन निर्देशों का पालन करें
बिजली उपकरणों, स्विचों, तारों और टेलीफोन का प्रयोग ना करें
खिड़की के कांच ,टिन की छत, गीले सामान और लोहे के हैंडलों से दूर रहें।
दीवार के सहारे टेक लगाके न खड़े हों।
स्नान करना तुरंत रोक दें।
जब आप घर से दूर हों तो इन निर्देशों का पालन करें
अगर आपके सर के बाल खड़े हो रहें हो, त्वचा में झुनझुनी हो फौरन सर झुकाकर कान बंद कर ले, क्योंकि आपके आस पास बिजली गिरने वाली ही होगी।
सफर के दौरान अपने वाहन में शीशे चढ़ाकर बैठे रहें। मजबूत छत वाले वाहन में रहें, खुली छत वाले वाहन की सवारी ना करें
बज्रपात के समय अगर आप पानी में हैं तो तुरंत बाहर आ जाएं।
किसी बिजली के खम्बे के समीप न खड़े हों
याद रखें :
आंधी-बिजली की स्थिति मे बाहर खुले मे कोई भी स्थान सुरक्षित नही होता।
टेलीफोन व पानी की लाईन मे विघुत प्रवाह हो सकता है।
बज्रपात के कारण घायल व्यक्ति को छूना पूर्णतः सुरक्षित है। इससे झटका नही लगता।
बिजली खुली होने से बज्रपात का खतरा नही बढता।
बिजली गिरने को खिड़की से न देखें: अन्दर के कमरे अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित होते है।
आंधी बिजली की स्थिति मे वर्षा से बचने के लिये पेड़ के नीचें आश्रय न लें।
रबर के जूते व टायर बज्रपात से सुरक्षा प्रदान नही करते।
प्रशिक्षित होने पर ही बज्रपात से पीड़ित व्यक्ति की प्राथमिक चिकित्सा का प्रयास किया जाना चाहियें।